

### **SRU STEELS LIMITED**

CIN:L17300DL1995PLC107286 Registered & Corporate Office : A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110 052 E-mail : srusteels@yahoo.in, Website : www.srusteels.in • Tel : 011-27474749

#### SRU/CS/2022-23/336

March 16, 2023

To, The Manager BSE LIMITED P.J. Towers, Dalal Street Mumbai-400001

#### Sub.: Submission of Newspaper Cutting of Extract of Postal Ballot Notice

#### Ref.: Scrip Code-540914, ISIN No-INE425C01017

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed mews paper cutting of Extract of Postal Ballot Notice as published in Financial Express (English Edition) and Jansata (Hindi Edition).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For SRU Steels Limited


Apoorv Agarwal (Managing Director) DIN: 02763242



## **SRU STEELS LIMITED**

CIN:L17300DL1995PLC107286

Registered & Corporate Office : A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110 052 E-mail : srusteels@yahoo.in, Website : www.srusteels.in • Tel : 011-27474749



For SRU Steels Limited


Director



# **SRU STEELS LIMITED**

CIN:L17300DL1995PLC107286

Registered & Corporate Office : A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110 052 E-mail : srusteels@yahoo.in, Website : www.srusteels.in • Tel : 011-27474749



	एसआरय स्टील्स लिमिटेड
	(सीआइंग्स: LI7300DL1995PLC107286)
	पंजीकृत कार्यालयः ए-48, पहली मंजिल, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052
asignation a lo	ई-मेल: srusteels@yahoo.in, वेबसाइट: www.srusteels.in फोन: 01127474749
	प्रोप्टल बैलट की प्रचन
अधिनियम') की धा सचिवीब मानक, से शा समय-समय पर सं ' पोस्टल बेलट नोटिस धिनियम के प्रासंग्रिक वोटिंग के माध्यम से //2020, 22/2020, : न, 2021, 31 दिसंबर वोटिंग से संबंधित नि डियॉजिटरी पार्टिसपे नस्टर/लाभार्थी स्वामि	पोस्टल बैलट की सूचना बना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ता 108 और धारा 110 (सामूहिक रूप से ''अधिनियम''), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठक वी (सूचीबद्धता दाशित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा और अन्य लागू कानून एवं विनियम, यदि कोई हो, शोधित किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, के अनुसार पोस्टल बैलट की सूचना दिनांक 10.03.2023 (')' में उल्लिखित प्रस्तावों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग (''ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से केवल पोस्टल बैलट हारा पारित करने मौरेटे ('कंपनी') अपने सदस्यों का अनुमोदन चाहती है। प्रावधानों के संदर्भ में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य बैठक आयोजित करने/ डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए सामान्य परिपन्न संख्या 11/2022 10/2022, 03/2022, 20/2021, 10/2021, 39/2020, 20/2020, 17/2020 और 14/2020 क्रमशः दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 05 मई, 2022, 14 दिसंबर, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 23 , 2020, 28 सितंबर, 2020, 15 जून, 2020, 05 मई, 2020, और 20 और 08 अप्रैल, 2020 ('एमसीए परिपत्र') के अनुसार, देशों के साध पोस्टल बैलेट नोटिस उन सभी प्रतर्थों को 15.03.2023 को केवल ईमेल हारो भेजा गया है, जिनका ईमेल पता कंपनी दूस या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है और जिनके नाम 10.03.2023 ('कट-ऑफ तिथि') तक्ष संदर्श किय यों की पुची में दर्श है। इस पोस्टल बैलट नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी http://www.srusteels.in/, बीएसई लिमिटेड
	eindia.com के प्रासंगिक खंड  पर भी उपलब्ध है। मिल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे पंजीकृत करें:
भौतिक धारिता	कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) इंमेल द्वारा कंपनी/आरटीए को प्रदान करें।
	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत
डीमैट धारिता	करें। करें।
दस्य यह भी ध्यान दें ास्टम के माध्यम से दं ो अविनाश पांडे (सद कया गया है। पनी ने अधिनियम की	] करें। कि उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग ो जानी है। त्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त 1 धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सविधा
दस्य यह भी ध्यान दें स्टम के माध्यम से ठं ो अविनाश पांडे (सद ज्या गया है। पनी ने अधिनियम की दान करने के उद्देश्य रं	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग ो जानी है। स्थता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त 1 धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-कॉफ
दस्य यह भी ध्यान दें (स्टम के माध्यम से दें ) अविनाश पांडे ( सद उया गया है । पनी ने अधिनियम क दान करने के उद्देश्य वं थि के अतुसार की ज मोट ई-वोटिंग की अ भा.मा.स.) समाप्त होग	करें। कि उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्ताबित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग   जानी है। त्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त । धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा ) सेंट्रेल डिपॉजिटर्स सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग आधिकारों की गणना कट-ऑफ वोगी। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वर्षि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मास.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को शाम 5.00 बजे )। इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉइयुल को निक्किय
दस्य यह भी ध्यान दें स्टम के माध्यम से टं ो अविनाश पांडे ( सद क्या गया है । पनी ने अधिनियम क दान करने के उद्देश्य रं थि के अनुसार की ज मोट ई-चोटिंग की अ भा.मा.स.) समाप्त होगे र दिया जाएगा। एक स्टल बैलेट का परिण ो वेबसाइट यानी htt कल्प, यदि अपेक्षित व	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग ो जानी है। स्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को इं-वोटिंग सुविधा वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ रे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ रे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ रोयेगी। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वधि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मास.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को शाम 5.00 बजे । इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिपोट ई-चोटिंग मॉड्यूल को निक्रिय बार सदस्य हारा संकल्प पर वोट दे दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। म मंगलवार, 18 अप्रैल 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और कंपनी ://www.srusteels.in / वीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindin.com/ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। हम्र से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा।
दस्य यह भी ध्यान दें स्टम के माध्यम से टं अविनाक्ष पांडे ( सद प्या गया है । पनी ने अधिनियम क तान करने के उद्देश्य रं ध के अनुसार की ज नोट ई-चोटिंग की अ ना.मा.स.) समाप्त होग र दिया जाएगा । एक स्टल बैलेट का परिण । वेबसाइट यानी http करप, यदि अपेक्षित व चोटिंग से संबंधित वि	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग ते जानी है। स्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविध से सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ ते सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ ते सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तेयेगी। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वधि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मास.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को शाम 5.00 बजे । इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमेट ई-चोटिंग मॉड्यूल की निक्रिय बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ाम मंगलवार, 18 अप्रैल 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और कंपनी कं//www.srusteels.in / बीएसई लिमिटेड की वेक्साइट https://www.bseindia.com/ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा । हुम्स से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा। सी भी प्रत या शिकायत के मामले में सदरय श्री राकेश दल्ती, वीरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: helpdesk.evot- या टेलीफोन नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे सदस्य srusteel@yahoo.in पर कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री
रस्य यह भी ध्यान दें इस्म के माध्यम से टं अविनाश पांडे ( सद या गया है । ननी ने अधिनियम क वे के अनुसार की ज निद ई-वोटिंग की अ ता.म.स.) समाप्त होगें : दिया जाएगा । एक टल बैलेट का परिण वेबसाइट यानी htt वोटिंग से संबंधित वि @cdslindia.com	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग ते जानी है। स्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविध से सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ ते सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ ते सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तेयेगी। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वधि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मास.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को शाम 5.00 बजे । इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमेट ई-चोटिंग मॉड्यूल की निक्रिय बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ाम मंगलवार, 18 अप्रैल 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और कंपनी कं//www.srusteels.in / बीएसई लिमिटेड की वेक्साइट https://www.bseindia.com/ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा । हुम्स से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा। सी भी प्रत या शिकायत के मामले में सदरय श्री राकेश दल्ती, वीरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: helpdesk.evot- या टेलीफोन नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे सदस्य srusteel@yahoo.in पर कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री
रस्य यह भी ध्यान दें इस्म के माध्यम से टं अविनाश पांडे ( सद या गया है । ननी ने अधिनियम क वे के अनुसार की ज निद ई-वोटिंग की अ ता.म.स.) समाप्त होगें : दिया जाएगा । एक टल बैलेट का परिण वेबसाइट यानी htt वोटिंग से संबंधित वि @cdslindia.com	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमेट ई-वोटिंग ते जानी है। त्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त 1 धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को इं-वोटिंग सुविध 2 से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे पी। कट- ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वाधि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को ख़ुबह 9.00 बजे (भा.मास.) से गुरू होगी और जुक्रवार, 14 अरील, 2023 को शाम 5.00 बजे 1। इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नर्ही दी जाएगी और उसके बाद सोडीएसएल द्वारा रिगोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निक्रिय बार सदस्य हारा संकल्प पर वोट दे दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1म संगलवार, 18 अप्रैल 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मास.), तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और कंपनी 1//www.srusteels.in / चीएसई लिमिटेड की वेवसाइट https://www.steindia.com/ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ॥ रहमस से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा । तसी भी प्रें स्वाय ते मामले में सदस्य श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रंथक, (सीडीएसएल) से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: helpdesk.evot- 11 टेलीफोन नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे सदस्य srusteels@yahoo.in पर कंपनी के प्रबंध निरेक्र श्री एफ्के सर सकते हैं। कृते एर्व हिते
रस्य यह भी ध्यान दें रस्य क माध्यम से ट अविनाश पांडे ( सद या गया है । ननी ने अधिनियम क को के अनुसार की ज होट ई-वोटिंग की अ ता.मा.स.) समाप्त होगे ( दिया जाएगा । एक टटल बैलेट का परिण वेबसाइट यानी htt वोटिंग से संबंधित वि @cdslindia.com	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमेट ई-वोटिंग ते जानी है। व्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त 1 धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविध 2 सेंट्रेल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ ते सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ दे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वेथी। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वधि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को झुल 9.00 बजे (भा.मास.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को शाम 5.00 बजे 1। इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा सिगेट ई-चोटिंग मॉड्यूल को निक्रिय बार सदस्य ह्यार संकल्प पर घोट दे दिए जाने के वाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मर्य मंदपत्र, 18 अप्रैल 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोखित किया जाएगा और कंपनी फ़/www.srusteels.in / बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.steindiia.com/ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ॥ महुमत से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा । म्हमत से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा । सो भी प्ररन या शिकायत के मामले में सदस्य श्री राकेश दलती, वीष्ट प्रबंधक, (सीडीएसएल) से निदिष्ट ईमेल आईडी: helpdesk.evot- या टेलीफोन नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे सदस्य srusteels@yahoo.in पर कंपनी के प्रबंध निरेक्त झी एसआरयू स्टील्स लिमिटेड हस्ता./-
दस्य यह भी ध्यान दें स्टम के माध्यम से टं अविनाश पांडे (सद त्या गया है। पनी ने अधिनियम के शि के अनुसार की ज तोट ई-वोटिंग की अ ग.म.स.) समाप्त होगे र दिया जाएगा। एक रटल बैलेट का परिण 1 वेबसाइट यानी htt 1 वेबसाइट यानी सेस वोटिंग से संबंधित वि a@cdslindia.com	करें। कि उपरोक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमेट ई-वोटिंग ते जानी है। त्यता संख्या एफ 9018), कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त 1 धारा 108 और संबंधित नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने सभी सदस्यों को इं-वोटिंग सुविध 2 से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ वे पी। कट- ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति को इसे केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। वाधि गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को ख़ुबह 9.00 बजे (भा.मास.) से गुरू होगी और जुक्रवार, 14 अरील, 2023 को शाम 5.00 बजे 1। इसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमति नर्ही दी जाएगी और उसके बाद सोडीएसएल द्वारा रिगोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निक्रिय बार सदस्य हारा संकल्प पर वोट दे दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1म संगलवार, 18 अप्रैल 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मास.), तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और कंपनी 1//www.srusteels.in / चीएसई लिमिटेड की वेवसाइट https://www.steindia.com/ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ॥ रहमस से पारित हो जाता है, तो शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को पारित माना जाएगा । तसी भी प्रें स्वाय ते मामले में सदस्य श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रंथक, (सीडीएसएल) से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: helpdesk.evot- 11 टेलीफोन नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे सदस्य srusteels@yahoo.in पर कंपनी के प्रबंध निरेक्र श्री एफ्के सर सकते हैं। कृते एर्व हिते

For SRU Steels Limited Director